

पत्र संख्या : 7ब/4701 योज०सं०-03/2014 94

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अविनाश कुमार,
सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/हजारीबाग/मेदिनीनगर/देवघर;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक : 11-8-14

विषय :- मॉग संख्या-49-जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-66-नये भवन का निर्माण एवं पुराने भवन की मरम्मत विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 43 अनुरक्षण मरम्मत एवं सुसज्जीकरण (सामग्री), विपत्र कोड 49P470180789660543 के अन्तर्गत व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में निधि का आवंटन।

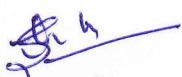
महाशय,

वित्तीय वर्ष 2014-2015 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजी परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट-1 में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

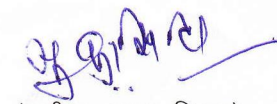
क्र.	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1.	49-जल संसाधन विभाग/ 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय/ 80-सामान्य	789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना/ 66- नये भवन का निर्माण एवं पुराने भवन की मरम्मत	05-निर्माण, 43 अनुरक्षण मरम्मत एवं सुसज्जीकरण (सामग्री) 49P470180789660543	212.80

अतिरिक्त आवंटित राशि - ₹ दो करोड़ बारह लाख अस्सी हजार मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष 2014-2015 के बजट उपबंध रु. 700.00 लाख (सात करोड़) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत स्वीकृत कार्यक्रम के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।


(श्वेता कुमारी)
सहायक अभियंता


(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)


(सुनील कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)

7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 15 फरवरी 2015 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट-1 के स्तंभ-11 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक-यथोक्त।


(अविनाश कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :-

१५

राँची, दिनांक :- 11-8-14

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक) झारखण्ड पो. - हिनू, राँची/कोषागार पदाधिकारी, राँची/डोरण्डा/हजारीबाग/मेदिनीनगर/देवघर/बरहेट/चाईबासा सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।


(अविनाश कुमार)
सचिव

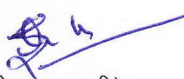
ज्ञापांक :-

१५

राँची, दिनांक :- 11-8-14

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त, सचिव योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) राँची/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग को पाँच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।


(श्वेता कुमारी)
सहायक अभियंता


(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव(अभि०)


(सुनील कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि०)


(अविनाश कुमार)
सचिव

विभागीय पत्रांक..... 94

दिनांक 11-8-19

का अनुलनक

परिशिष्ट-1

मॉग संख्या-49-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष-4701 मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परियोजना,

उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य,

लघु शीर्ष -789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना

उप शीर्ष -66-नये भवन का निर्माण एवं पुराने भवन की मरम्मत

विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 43 अनुसूचित मरम्मत एवं सुसज्जीकरण (सामग्री)

49P470180789660543

वित्तीय वर्ष 2014-15 में बजट उपबंध 700.00 लाख (सात करोड़) रुपये मात्र।

(राशि लाख रु. में)

क्र०	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रसंग	प्रशासनिक स्वीकृति का		मार्च 2014 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2014-15 में आवंटित राशि				On-line Allotment Access No.	अव्युक्ति
					राशि			पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	तेनुघाट बांध प्रमंडल, तेनुघाट	हजारीबाग	भवनों का संधारण एवं नये भवनों का निर्माण कार्य।	49 / 13-14 प्र०स्वी० दिनांक-28.11.2013	43.290000	25.000000	0.00	18.29	18.29	51873			
					16.265000	13.265000	0.00	3.00	3.00				
					27.079100	26.079000	0.00	1.00	1.00				
योग							0.00	22.29	22.29				
2	सिंचाई प्रमंडल सं.-1, बरहेट	देवघर	भवनों का संधारण एवं नये भवनों का निर्माण कार्य।	49 / 13-14 प्र०स्वी० दिनांक-28.11.2013	18.285000	4.820000	0.00	13.47	13.47	51874		सिंचाई प्रमंडल सं.-1, बरहेट स्थित कार्यालय एवं आवासों का मरम्मत कार्य	
योग							0.00	13.47	13.47				
3	जलपथ प्रमंडल, मेदिनीनगर	मेदिनीनगर	भवनों का संधारण एवं नये भवनों का निर्माण कार्य।	49 / 13-14 प्र०स्वी० दिनांक-28.11.2013	71.81800	0.000000	0.00	66.66	66.66	51877		मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर के लिए अवासीय भवन का निर्माण जल पथ शिखिर मेदिनीनगर में स्थित इ०पी० Qr. No- 01.02.03.04.05.07. 10 एवं 12 आवासों के मरम्मत कार्य। जल पथ शिखिर मेदिनीनगर में स्थित इ० पी० QrNo-13 एवं 16 Double Storied आवास का मरम्मत कार्य। जल पथ शिखिर मेदिनीनगर में स्थित अधीक्षण अभियंता, औरंगा निर्माण अंचल मेदिनीनगर, पलामू के आवास मरम्मत कार्य। जल पथ शिखिर मेदिनीनगर में स्थित इ०टी० Qr. No- 01.02.04.09.10.19 एवं 20 अधीक्षण अभियंता, औरंगा निर्माण अंचल कार्यालय भवन एवं चाहर दीवारी के मरम्मत कार्य। विशेष भू-अर्जन उत्तरी कोयल परियोजना मेदिनीनगर, पलामू के कार्यालय भवन की मरम्मत कार्य।	
					8.36700	0.000000	0.00	7.68	7.68				
					2.52600	0.000000	0.00	4.68	4.68				
					2.66100	0.000000	0.00						
					7.40700	0.000000	0.00	6.47	6.47				
					3.97900	0.000000	0.00	5.56	5.56				
					2.74500	0.000000	0.00						
योग							0.00	91.05	91.05				

(श्वेता कुमारी)
सहायक अभियंता

(एम०एस० चौरसिया)
उप सचिव (अभि०)

(सुनील कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि०)

(अविनाश कुमार)
सचिव

वित्तीय वर्ष 2014-15 में बजट उपबंध 700.00 लाख (सात करोड़) रुपये मात्र।

(राशि लाख रु. में)

क्र. सं.	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का		मार्च 2014 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2014-15 में आवंटित राशि			On-line Allotment Access No.	अभ्युक्ति
				प्रसंग	राशि		पूर्व का आबंटन	वर्तमान आबंटन	कुल आबंटन		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	जलपथ प्रमंडल हजारीबाग	हजारीबाग	भवनों का संधारण एवं नये भवनों का निर्माण कार्य।	35 / 12-13 प्र०स्वी० दिनांक- 27.02.2013	88.10100 75.32220 19.57920	94.29572 63.55763 14.93469	0.00 0.00 0.00	9.50 10.00 2.20	9.50 10.00 2.20	51878	मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग के कार्यालय भवन का निर्माण कार्य मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग के आवास भवन का निर्माण कार्य दीपगुवा सिवाई शिविर हजारीबाग के ई०, एफ०, जी० टाइप आवासों, अंचल कार्यालय एवं निरीक्षण भवन की मरम्मत का कार्य
योग						0.00	21.70	21.70			
5	जलपथ प्रमंडल, चाईबासा	राँची	भवनों का संधारण एवं नये भवनों का निर्माण कार्य।	35 / 12-13 प्र०स्वी० दिनांक- 27.02.2013	0.97550 13.17200 1.16900 8.12600 16.88110 36.56700 18.89370	20.00000	0.00	64.29	64.29	51879	चाईबासा अवस्थित अधीक्षण अभियंता जल पथ अंचल चाईबासा के आवास का मरम्मत कार्य जल पथ अंचल चाईबासा के अंचल कार्यालय नू-अर्जन कार्यालय, राजस्व कार्यालय, सी टाइप क्वार्टर्स के गैरेज का मरम्मत कार्य जल पथ शिविर चाईबासा के जलापूर्ति व्यवस्था के पाईप लाइन का मरम्मत कार्य जल पथ शिविर चाईबासा के सैरिक टैंक का मरम्मत कार्य जल पथ शिविर चाईबासा के अंतर्गत निर्मित पीप्रीसीसी पथ का मरम्मत कार्य जल पथ शिविर चाईबासा के विभिन्न प्रकार के आवासों का मरम्मत कार्य जल पथ प्रमण्डल चाईबासा के वाहरीदीवारी ग्रिल गेट तथा कैटीलेतर कील मरम्मत कार्य
योग						0.00	64.29	64.29			
कुल योग						0.00	212.80	212.80			
आवंटित राशि - ₹ दो करोड़ बारह लाख अस्सी हजार मात्र।											

(रघुता कुमारी)
सहायक अभियंता

(एम०एस० चौरसिया)
उप सचिव (अभि०)

(सुनील कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि०)

(अविनाश कुमार)
सचिव

94
11-8-17